

Undertaking

Subject :- Diversion of 6.387 ha. of forest land for improvement of Palwal Hathin Uttawar Road (MDR135) Km. 0.400 to 22.40 km, under forest division and District Palwal Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Road/45196/2020

Ref :- Approval of Stage -I vide letter No. 9-HRC078/2021-CHA dated 25.11.2021 of Ministry of Environment Forest and Climate Change, Integrated Regional Office, Chandigarh.

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
(यह राशी (4,36,99,910/-) कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय मंडल पलवल, PWD B&R पलवल, कार्यालय द्वारा जमा करा दिया गया है।)
- वन मण्डल अधिकारी यह लिखित आश्वासन) undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
(यह कार्यालय सुनिश्चित करता है कि प्रतिपूर्ति पौधारोपण (Compensatory Afforestation) सही तरीके से और निर्धारित स्थान पर ही किया गया है)
- नोडल अधिकारी) State CAMPA) यह लिखित आश्वासन)undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
(इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जा चुका है)
- राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण)CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण)FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
(इस कार्यालय द्वारा CA क्षेत्र की KML फाइल पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है)
- माननीय उच्चतम न्यायालय केआदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी सेप्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

(B) अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 1,632 और पौधों की संख्या 769 सेअधिक नहीं होगी।


- प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से 12.774 हैक्टेयर वन क्षेत्र में और 1.538 हैक्टेयर वन क्षेत्र पौधें लगाकर किया जायेगा ।
- राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी ।
- वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें ।
- नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें ।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
- साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करनेकेलिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।
- एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
- स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।
- केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा ।
- यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा ।
- अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।

Place - Palwal

Dated 18.03.2026

Signature of agency

Office seal


Executive Engineer,
Provincial Division,
PWD B & R Br., Palwal



AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-02-2022

Agency Name.	PWD BANDR PALWAL
Application No.	6145196066
MoEF/SG File No.	9-HRC078-2021-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	O/o Executive Engineer, Provincial Division Palwal
Amount(in Rs)	43699910/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Six Lakh Ninety-Nine Thousand Nine Hundred and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150696145196066 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 08-02-2022

Agency Name.	PWD BANDR PALWAL
Application No.	6145196066
MoEF/SG File No.	9-HRC078-2021-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	O/o Executive Engineer, Provincial Division Palwal
Amount(in Rs)	43699910/-

Amount in Words :Four Crore Thirty-Six Lakh Ninety-Nine Thousand Nine Hundred and Ten Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150696145196066 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Email: cb0371@unionbankofindia.com

Deposited with UT & No F-HDFCR 52022020995754848
dated 9/feb/2022




Deputy General Manager-V
HSRDC, Faridabad



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh



मिसिल संख्या -: 9-HRC078/2021-CHA

दिनांक: 25 -11-2021

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ - 160001(fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion of 6.387 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, PWD B&R Palwal for improvement of Palwal-Hathin-Uttariar Road (MDR 135) Km. 0.400to 22.40, under forest division and District Palwal, Haryana (online proposal no. FP/HR/ROAD 45196/2020)

- संदर्भ: i) प्र०मु०वन संरक्षक, हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9832/1608 दिनांक 31.05.2021
ii) नोडल आफिसर हरियाणा के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9832/4420 दिनांक 18.10.2021
iii) Minutes of the 40th REC meeting held on 17.06.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और REC द्वारा स्वीकृति के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 6.387ha वन भूमि के उपयोग के लिए **सैधांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- i. प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- ii. वन मण्डल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
- iii. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह लिखित आश्वासन (undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
- iv. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।

- v. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- vi. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
- vii. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;
- viii. Provide the status and time line for compliance of one old proposal of user agency (PWD B&R Palwal) namely, FP/HR/ROAD/17387/2016 which is still pending for compliance of conditions of S-I;
- ix. The State Govt. shall not issue temporary working permission until the entire compensatory levies are deposited by User Agency and confirmed online on Ministry's web-portal;
- x. Original copy of FRA certificate be uploaded and provided.

(B) अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 1,632 और पौधों की संख्या 769 से अधिक नहीं होगी।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से 12.774 हेक्टेयर वन क्षेत्र में और 1.538 हेक्टेयर वन क्षेत्र पौधे लगाकर किया जायेगा।
- iv. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- v. वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।
- vi. नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।
- vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- viii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- ix. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।

- x. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा |
- xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
- xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
- xiii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी|
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगे वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |
- xv. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |
- xvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |
- xvii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

-sd-

(सी० डी० सिंह)

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।(adgfc-mef@nic.in)
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Haryana Forest Department, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The CCF-cum-Nodal Officer (FCA), Department of Forests, Government of Haryana , C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com)
4. Addl. PCCF (FCA) & CAMPA, Government of Haryana, Forest Department, Sector-6, Van Bhawan, Panchkula, Haryana. 134009 (haryanacampa@gmail.com)
5. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Sirsa Haryana (dfopalwal@gmail.com)
6. The Executive Engineer, provincial Division, PWD B&R Palwal (pwd-ee-palwal@hry.nic.in)

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(i). **Proposal No. :** FP/HR/ROAD/45196/2020

(ii). **Name of Project for which Forest Land is required :** Improvement of Palwla Hathin Uttawar road MDR 135 km 0.40 to 22.40 in Palwal Distt

(iii). **Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required :** Improvement of Palwla Hathin Uttawar road MDR 135 km 0.40 to 22.40 in Palwal Distt

(iv). **State :** Haryana

(v). **Category of the Proposal :** Road

(vi). **Shape of forest land proposed to be diverted :** Linear

(vii). **Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) :** 7381

(viii). **Area of forest land proposed for diversion(in ha.):** 6.387

(ix). **Non-forest land required for this project(in ha.):** 5.527

(x). **Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years):** 99

A-2. Details of User Agency

(i). **Name :** PWD BANDR PALWAL

(ii). **Address1 :** O/o Executive Engineer, Provincial Division

(iii). **Address2 :** PWD B&R Br., Palwal(Haryana)

(iv). **State :** Haryana

(v). **District :** Palwal

(vi). **Pin :** 121102

(vii). **Landmark :** NIL

(viii). Email address : pwd-eeepd-palwal@hry.nic.in

(ix). Landline Telephone No. : 1275-252006

(x). Fax No. : 1275-

(xi). Mobile No. : 9416013715

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Narendra

(ii). Middle Name: Singh

(iii). Last Name: Yadav

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer,

(vi). Address 1: O/o Executive Engineer, Provincial Division

(vii). Address 2: PWD B&R Br, Palwal (Haryana)

(viii). State: Haryana

(ix). District: Palwal

(x). Tehsil: NIL

(xi). Pin: 121102

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: pwd-eeepd-palwal@hry.nic.in

(xiv). Landline Telephone No.: 1275-252006

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9899697482

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

- B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

Proposal Submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
1	Under Processing in MoEF	FP/HR/Road/26194/2017	FP/HR/road/26194/2017	1.73	1.73		
Total				1.73	1.73		

- B-2. Details of forest land proposed to be diverted

- B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Palwal	6.387	5.527
Total		6.387	5.527

- B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Palwal	6.387	5.527
Total		6.387	5.527

- B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Palwal	6.387	5.527
Total		6.387	5.527

- B-2.4 Component wise breakup





Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	RD 400 to 2000	1.392	1.072
2	RD 11500 to 12400	0.783	0.603
3	RD 12400 to 15200	2.436	2.996
4	RD 21400 to 22200	0.696	0.856
Total		5.307	5.527


C. Maps of forest land proposed to be diverted


Division 1. : Palwal	
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 6.387	

(ii). Nature of the Project: Linear

(b). No. of Segments : Four

Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments (To view KML file on google the same may be downloaded and then open if in google earth install in your computer).
1.	1.392	 View File
2.	0.783	 View File
3.	2.436	 View File
4.	0.696	 View File

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment ? : No

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wilddelife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No



L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: No

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Others

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Administrative Approval
2		Check lists

Print

□